IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd , JAMUI

S.T 07/2021

Arising out of P.S. Case No. Chandradip 70/2014

---

1. Sakindra Yadav S/o Arjun Yadav
Resident of Village- Bhaluana, P.S.- Chandradip and Dist.-Jamui
---------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

---------- Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	16-06-2021	काराधीन आवेदक/अभियुक्त सकिन्द्र यादव की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक अपने जमानत के लिए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दिनांक 01.12.20 को आवेदन दाखिल किया था परंतु विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने वाद अभिलेख दौरा सुपुर्द कर दिया तथा आवेदक सिकंदरा थाना कांड सं0 81/15 में नवादा जेल से इस वाद में दिनांक 18.09.20 को उपस्थापित कराया गया तथा आवेदक के विरुद्ध धारा 302, 120बी/34 भा0द0वि0 लागू नहीं होती है क्योंकि आवेदक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही सूचक घटनास्थल पर मौजूद था तथा कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना को होते हुए नहीं देखा है तथा आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक के कब्जे से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है तथा इस वाद के अन्य सह अभियुक्त जमानत पर है तथा आवेदक के विरुद्ध कौवाकोल थाना कांड सं0 35/18 एवं सिकंदरा थाना कांड सं0 81/15 दर्ज है तथा आवेदक बाहर रहकर मजदूरी करता है तथा आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद में आरोपित धारा 302, 120बी/34 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम है तथा आवेदक दिनांक 09.12.20 से काराधीन है तथा आवेदक प्राथमिक का नामित अभियुक्त है जिसके विरुद्ध प्राथमिकी में आरोप है कि उसने दिनांक 20.08.14 को सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सिकंदरा नवादा मुख्य सड़क पर सूचक के भाई प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जिसमें एक अपराधी अधिक यादव की भी गोली लगने से मृत्यु हो गई तथा पुलिस ने घटनास्थल से तीन गोली का खोखा एवं एक मोबाईल भी बरामद किया तथा केस डायरी की कंडिका 3 में मृतक प्रमोद यादव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन अंकित है जिसमें मृत्यु का कारण गोली मारने से हत्या होना अंकित है तथा कंडिका 4 एवं 8 में जप्तीसूची अंकित है तथा कंडिका 10 में सूचक राजेश प्रसाद यादव ने अपने फर्दबयान में एवं कंडिका 12, 13, 14 में साक्षियों ने अपने बयान में तथा कंडिका 41 में वादी ने अपने पुनः बयान में घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा कंडिका 42, 43, 44, 56, 58 में साक्षियों ने भी अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है तथा कंडिका 73 एवं	

	पश्चात् 16.06.21	74 में मृतक प्रमोद यादव एवं अधिक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित है तथा कंडिका 94 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई का पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें यह कांड आवेदक के विरुद्ध में सत्य पाया गया है तथा कंडिका 95 में पुलिस अधीक्षक जमुई पर प्रतिवेदन–2 अंकित है तथा कंडिका 100 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने घटना को सत्य पाते हुए आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 42/17 दिनांक 05.05.17 अंतर्गत धारा 302, 120बी/34 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम समर्पित कर दिया है। अपराध की गंभीरता एवं अभिलेख पर उपलब्ध समाग्री के आधार पर मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त नहीं समझता हूं। उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर उपलब्ध समाग्री के आधार पर आवेदक/अभियुक्त सकिन्द्र यादव का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित -SD- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय जमुई।	